

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37()परावि/प्रशा2./मंत्रा/स्थाना-प्रथम/2019/3133
::आदेश ::

जयपुर दिनांक 26.9.19

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वाहन चालकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जाते हैं:-

1.	श्री इमीचन्द	सहायक कर्मचारी	पं.स. अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर	पं.स. करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
2.	श्री महेन्द्र सिंह	वाहन चालक	पं.स. बाड़ी, जिला धौलपुर	अन्य पंचायत समिति
3.	श्री सांवलाराम	वाहन चालक	पं.स. बालोतरा, जिला बाडमेर	अन्य पंचायत समिति
4.	श्री कमललाल गमेती	च.श्रे.कर्मचारी	पं.स अरनोद, जिला प्रतापगढ	पं.स. बडगांव, जिला उदयपुर
5.	श्री महावीर शर्मा	च.श्रे.कर्मचारी	पं.स. महुवा, जिला दौसा	पं.स. नैनवा, जिला बून्दी
6.	श्रीमती राजेश्वरी	च.श्रे.कर्मचारी	पं.स. बाड़ी, जिला धौलपुर	अन्य पंचायत समिति
7.	श्रीमती मनभर	च.श्रे.कर्मचारी	पं.स. बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	पं.स. केशोरायपाटन जिला बून्दी

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

26/9/2019
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
3. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सम्बन्धित
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
6. सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वाहन चालक द्वारा जिला परिषद/पं.स.।

५१
—
२६/५/२०२५
संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त